न्यायालय–द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव (छ0ग0) पीठासीन न्यायाधीश–दीपक के0 गुप्ता
जमानत याचिका कं0–**818 / 2022**
आवेदक / आरोपी– पंचू पारधी पिता स्व0 श्री रूमसिंह पारधी, उम्र–58 वर्ष, निवासी–ग्राम बोईरडीह, थाना–ओ0पी0–चिखली, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)
विरूद्ध
अनावेदक / राज्य – **छ.ग. शासन, द्वारा–ओ0पी0 चिखली, थाना–कोतवाली, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)**
आवेदन पत्र अंतर्गत **धारा–439 दं0प्र0सं0** में पारित आदेश
आरक्षी केन्द्र–**ओ0पी0 चिखली, थाना–कोतवाली, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)**
अपराध कमांक–**845 / 2022**
अंतर्गत धारा– **34(2) आबकारी अधिनियम**
जमातन आदेश दिनांक–**14 / 10 / 2022**

DEEPAK KUMAR GUPTA
Digitally signed by DEEPAK KUMAR GUPTA
Date: 2022.10.14 16:31:25 +0530

आवेदक / आरोपी **पंचू पारधी** की ओर से अधिवक्ता **श्री सुशांत तिवारी** उपस्थित।

अनावेदक / राज्य की ओर से **श्री कुंजलाल साहू** अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

प्रकरण केस डायरी, रिमांड प्रपत्र एवं जमानत आवेदन पर तर्क हेतु नियत है।

ओ0पी0 चिखली, थाना–कोतवाली जिला–राजनांदगांव (छ0ग0) के **अपराध कमांक–845 / 2022, धारा–34(2) आबकारी अधिनियम** का केस डायरी मय जमानत विरोध प्रतिवेदन एवं रिमाण्ड प्रपत्र विचारण न्यायालय से प्राप्त।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष का तर्क श्रवण किया गया।

इस आदेश द्वारा आवेदक/आरोपी की ओर से जमानत हेतु प्रस्तुत आवेदन, अंतर्गत **धारा–439 दण्ड प्रकिया संहिता** का निराकरण किया जा रहा है।

आवेदक/आरोपी की ओर से जमानत आवेदन पेश कर यह निवेदन किया गया है कि उसे **ओ0पी0 चिखली, थाना–कोतवाली जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)** के **अपराध कमांक–845/2022, धारा–34(2) आबकारी अधिनियम** का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफतार कर दिनांक–10.10.2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राजनांदगांव के न्यायालय में रिमांड पेश किया गया था जहां से आवेदक को जेल अभिरक्षा में भेज दिया गया है। आवेदक की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा–437 दं0प्र0सं0 को खारिज कर दिया गया है।

आवेदक/आरोपी निर्दोष है, उसे षड़यंत्रपूर्वक तरीके से इस मामले में झूठे अपराध में फंसाया गया है, उक्त अपराध से आवेदक/आरोपी का प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं रहा है तथा पुलिस द्वारा जिस स्थान से सामग्री जप्त होना बताया जा रहा है वह खुला स्थान है जहां कोई भी आ जा सकता है। आवेदक/आरोपी गरीब मजदूर व्यक्ति है जो अपने परिवार का कर्ता सदस्य है आवेदक रोजी मजदूरी कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है, जिसे अधिक दिनों तक जेल अभिरक्षा में रखा जाता है तो उसके परिवार के समक्ष जीवन यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जावेगी।

वर्तमान में पुलिस विवेचना अपूर्ण है, जिसके चलते प्रकरण के विचारण में समय लगना संभावित है, ऐसी स्थिति में आवेदक को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित है। ग्राम बोईरडीह, थाना–ओ0पी0–चिखली,जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

का स्थायी निवासी है, जहां पर उसकी चल अचल संपत्ति स्थित होने के साथ–साथ वह अपने परिवार सहित निवास करता है, जिसके अन्यत्र पलायन करने व भागने या फरार होने की कोई संभावना नहीं है।

आवेदक/आरोपी इतना प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है कि जमानत पर रिहाई उपरांत किसी भी अभियोजन साक्षियों को प्रभावित कर सके। आवेदक वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल राजनांदगांव में निरूद्ध है, आवेदक की अभिरक्षा दोषसिद्धी पूर्व दण्ड की कोटि में आ रही है जो न्यायोचित नहीं है। आवेदक जमानत पर रिहा होना चाहता है, इस हेतु न्यायालय द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तो को स्वीकार करते हुये सक्षम प्रतिभूति पेश करना चाहता है। आवेदक/आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित होगा।

आवेदक/आरोपी द्वारा अपने उक्त जमानत आवेदन में यह स्पष्ट किया है कि आवेदक/आरोपी का यह **प्रथम** जमानत आवेदन है, इस आशय का अन्य कोई जमानत आवेदन किसी समकक्ष न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के समक्ष पेश नहीं किया गया है और न पूर्व में निरस्त हुआ है।

आवेदक/आरोपी के जमानत के इस आवेदन के उक्त तथ्यों के समर्थन में आवेदक का **बेटा पिंकु पारधी** का शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया गया है।

अनावेदक राज्य की ओर से **श्री कुंजलाल साहू** अपर लोक अभियोजक द्वारा जमानत का विरोध करते हुए व्यक्त किया है कि आरोपी के विरूद्ध गंभीर प्रकृति का आरोप है। अतएव उक्त जमानत आवेदन निरस्त किया जावे।

विचारण न्यायालय से प्राप्त रिमांड प्रपत्र एवं **ओ0पी0 चिखली, थाना–कोतवाली जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)** से प्राप्त केस डायरी **अपराध कमांक–845/2022, धारा–34(2) आबकारी अधिनियम** का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि **ओ0पी0 चिखली, थाना–कोतवाली, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)** के **अपराध कमांक–845/2022, धारा–34(2) आबकारी अधिनियम** में आवेदक/आरोपी के विरूद्व अपराध पंजीबद्ध कर उसे गिरफ्तार किया गया है कि दिनांक–10.10.2022 को आरोपी के कब्जे से 40 पौवा देशी मदिरा प्लेन शराब प्रत्येक में 180 एम0एल0 भरा हुआ कीमती 3200/– रूपये शराब की मात्रा 7200 एम0एल0 एवं मोटर सायकल कमांक–सी0जी0–04/डी0क्यू0–9443 को जप्त किया गया।

प्रकरण में आवेदक/आरोपी **पंचू पारधी** का उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का है एवं अभियोजन की ओर से पेश दस्तावेज/प्रतिवेदन में आवेदक/आरोपी के विरूद्ध **पूर्व में भी शराब बिकी करने के संबंध में अनेक अपराध उसके ग्राम बोईरडीह में रहने के पूर्व चौकी चिखली में अपराध कमांक–516/22021 अंतर्गत धारा–34(2), अपराध कमांक–217/2022 अंतर्गत धारा–34(ए), आबकारी अधिनियम एवं अपराध कमांक–483/2022, अंतर्गत धारा–34(ए), आबकारी अधिनियम दर्ज किये गये है तथा पश्चात में बोईरडीह पूर्व में रहने के दौरान थाना–लालबाग में अपराध कमांक–360/2013 अंतर्गत धारा–34(ए), आबकारी अधिनियम, अपराध कमांक–409/2014 अंतर्गत धारा–34(ए), आबकारी अधिनियम, अपराध कमांक–26/2016 अंतर्गत**

धारा–34(ए), आबकारी अधिनियम, अपराध कमांक–57/2016 अंतर्गत धारा–34(ए), आबकारी अधिनियम एवं अपराध कमांक–116/2017 अंतर्गत धारा–34(2), आबकारी अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस प्रकार आरोपी के विरूद्ध अवैध शराब अपने कब्जे में रखकर शराब विक्रय करने का आभ्यासिक होना दर्शित होता है और आरोपी/आवेदक द्वारा इस प्रकार का अत्यधिक मात्रा में अवैध शराब विक्रय हेतु रखकर अपराध कारित करना उसके अपराध की गंभीरता को और अधिक बढ़ाता है।

प्रकरण में बचाव अधिवक्ता द्वारा जो आवेदन में कथन एवं तर्क किया गया है, वह साक्ष्य का विषय वस्तु है, उस पर इस स्तर पर विचार नहीं किया जा सकता है।

प्रकरण की उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं आवेदक/आरोपी के विरूद्ध पंजीबद्ध **अपराध की गंभीरता एवं जप्त द्रव की अत्यधिक मात्रा तथा इस प्रकार के अवैध शराब विकय करने के अपराध का आभ्यासिक आरोपी होने** को देखते हुए आवेदक/आरोपी **पंचु पारधी** को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतएव आवेदक/आरोपी **पंचू पारधी** की ओर से पेश किये गये जमानत आवेदन अंतर्गत **धारा–439 दं0प्र0सं0 निरस्त** किया जाता है।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी संबंधित थाना को वापस भेजी जावे एवं आदेश की प्रति के साथ रिमांड प्रपत्र संलग्न कर विचारण न्यायालय को सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

यह जमानत प्रकरण समाप्त, परिणाम दर्ज कर उक्त जमानत प्रपत्र अभिलेखागार जमा हो।

सही/–

(दीपक के. गुप्ता)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव
जिला–राजनांदगांव (छ.ग.)